"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 जून 2014—ज्येष्ठ 20, शक 1936

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक/2566/एफ-04/39/मण्डी निर्वा./2003/14-2. — छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1977 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र.24 सन् 1973) की धारा 79 की उप-धारा (1) एवं (2) सहपठित धारा 11, 11-क और 12 द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व अतिरिक्त सचिव, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्र. एस-4-4, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,-

1. नियम 14-क के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"(1) कलेक्टर, अध्याय चार में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रथम बार मतदाता सूची तैयार करने के लिये, राजस्व/वन ग्राम के भू-अभिलेखों में की गई प्रविष्टि के अनुसार, ऐसे वयस्क भूमिस्वामी/पट्टा धारक की सूची करवायेगा, जो कम से कम आधा एकड़ भूमि जिसको कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा हो, धारण करता हो."

2. नियम 14-क के उप-नियम (6) के खण्ड (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि खसरा/वनखण्ड तथा राजस्व/ वन ग्राम के उपखण्ड में एक से अधिक बार होने की दशा में, उसके नाम की प्रविष्टि मतदाता सूची में एक ही बार की जायेगी."

3. प्रारूप-1 के 'मतदाता सूची' के अधीन, कॉलम 2 के शीर्षक में, शब्द और चिन्ह "कृषि खाता क्रमांक", के पश्चात् शब्द और चिन्ह "/वन खण्ड एवं उपखण्ड/" अन्तःस्थापित किया जाये.

4. प्रारूप-1 के 'अनुपूरक मतदाता सूची' के अधीन, कॉलम 2 के शीर्षक में, शब्द और चिन्ह "खाता क्रमांक", के पश्चात् शब्द और चिन्ह "/वन खण्ड एवं उपखण्ड/" अन्तःस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2014

क्रमांक/2566/एफ-04/39/मण्डी निर्वा./2003/14-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2566/एफ-04/39/मण्डी निर्वा./2003/14-2, दिनांक 10-06-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th June 2014

NOTIFICATION

No. 2566/F-04/39/Mandi Nirva./2003/14-2. — The following further draft amendment in the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Mandi Samiti Ka Nirvachan) Niyam 1997, which the State Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 79 read with Section 11, 11-A and 12 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), is hereby, published as required under sub-section (1) of Section 79 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after fifteen days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objections or suggestions regarding the said draft, received from any person before the specified period during the office hours by the office of the Additional Secretary, Department of Agriculture, Government of Chhattisgarh, Room No. S-4-4, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, shall be duly considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. For sub-rule (1) of Rule 14-A, the following shall be substituted, namely :-
"(1) Notwithstanding anything contained in chapter Four, on preparation of the voters' list for the first time, the Collector shall, according to the entries made in the revenue/forest village land records, cause a list to be prepared of such adult Bhoomiswami/Lease holder who hold atleast half acre of land that is being used for agricultural activity."

2. For clause (vii) of sub-rule (6) of Rule 14-A, the following shall be substituted, namely :-
"In case the name of a person is entered more than once in the Khasara/Forest Block and Compartment of the revenue/forest village, his name shall be entered only once in the voters list."

3. Under 'Voters List' of Form-1 in the heading of column 2, after the words and symbol "Serial No. of Agricultural Holding/", the words and symbol "Forest Block and Compartment/" shall be inserted.

4. Under 'Supplementary Voters List' of Form-1 in the heading of column 2, after the words and symbol "Serial No. of Agricultural Holding/", the words and symbol "Forest Block and Compartment/" shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.